

27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 27 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार श्रीमति अर्चना शर्मा, प्रवर सहायक, परिवहन विभाग, के प्रत्यावेदन का निपटान।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे श्रीमति अर्चना शर्मा, प्रवर सहायक के अंतिम आवंटन के बारे मे विचार किया गया । समिति को बताया गया कि श्रीमति शर्मा की नियुक्ति अपने पति के मृतक आश्रित की रूप में 1999 मे हुई थी । उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए विकल्प दिया गया था तथा वह उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी हैं । महिला कार्मिक विकल्पानुसार राज्य आवंटन के पात्र होने के नाते समिति द्वारा उनका आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए किये जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत हे तथा तदनुसार श्रीमति अर्चना शर्मा, प्रवर सहायक, परिवहन विभाग का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए किया जाता है ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Dept. of Personnel & Trg., L. N. B. Bldg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section

संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे में सूचित किया जाये ।

26 JUN 2013/11

जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि:-

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।